न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0 1, आगरा
पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार बरनवाल, एच.जे.एस.– UP05977

UPAG010142782022

सत्र परीक्षण संख्या–555/2022

राज्य	बनाम	आकाश गोयल आदि
		धारा 306 भा0द0सं0
		अपराध सं0 41/2021
		थाना लोहामण्डी, आगरा।

दिनांक 27.02.2023

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। पूर्व दिनांक पर अभियुक्त आकाश गोयल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 11ब व 18ब वास्ते उन्मोचन पर सुना जा चुका है।

प्रार्थी/अभियुक्त आकाश गोयल उर्फ कुक्कू की ओर से 18ब प्रार्थनापत्र साथ में माननीय उच्च न्यायालय के धारा 482 नं0 24967/2022 आकाश गोयल उर्फ अक्को बनाम उ0प्र0राज्य एवं अन्य, में पारित आदेश दिनांकित 11.01.2023 की प्रमाणित प्रति के साथ यह कथन करते हुए प्रस्तुत किया गया कि न्यायिक दृष्टिकोण से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में उचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त सन्दर्भित आदेश का अवलोकन किया गया।

उक्त आदेश के द्वारा माननीय न्यायालय ने सत्र विचारण सं0 555/2022, अपराध सं0 41/2021, अन्तर्गत धारा 306 भा0द0सं0 थाना लोहामण्डी, जिला आगरा में पारित आदेश दिनांकित 10.06.2022 को निरस्त करते हुए पुनः इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आत्महत्या के दुष्प्रेरण के सबंध में जो भी तत्व हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए पुनः आदेश पारित करें।

मेरे द्वारा दिनांक 10.06.2022 को पारित आदेश का अवलोकन किया गया। जिसमें अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 11ब पर सुनवाई करते हुए इस आधार पर प्रार्थनापत्र निरस्त किया गया कि मृतक द्वारा आत्महत्या से पूर्व मोबाइल में की गई रिकॉर्डिंग की साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य मौखिक साक्ष्य भी उपलब्ध है। जिनसे धारा 306 भा0द0सं0 का आरोप गठित होता है। तदनुसार 11ब प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश

दिनांकित 11.01.2023 के द्वारा निरस्त कर दिया गया।

मेरे द्वारा उभय पक्ष, अभियुक्त व अभियेाजन तथा वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार पूर्वक सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियोजन तथ्य सक्षेंप में यह है कि वादिनी श्रीमती मिताली अग्रवाल द्वारा थाना लोहामण्डी, आगरा पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि उसके पति ने दिनांक 20.03.2021 को समय सुबह करीब 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच घर के कमरे में बंद होकर रस्सी से लटककर आत्महत्या कर ली, जिसके जिम्मेदार आकाश गोयल उर्फ अक्कू, रोहित अग्रवाल तथा सौरभ गोयल उर्फ मिक्की हैं। उसके पति ने आत्महत्या करने से पूर्व उसे बताया कि उपरोक्त व्यक्तियों ने उसकी दुकान श्री श्यामजी ट्रेडिंग कम्पनी, दुर्गा मार्केट मानपाड़ा, जिसमें आकाश गोयल पार्टनर था, ने रात में उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के साथ मिलकर सभी कपड़े जो बिक्री हेतु दुकान में रखे थे, 51.40 लाख रूपये नकद व दुकान के लेन देन के अभिलेख निकाल लिये हैं, जिससे उन्हें आर्थिक चोट व सदमा पहुंचा था। इसके बाद भी उक्त व्यक्ति निरंतर उसके पति को कपड़े की उधारी के रूपये देने के लिए लेनदारों द्वारा दवाब दिलवाते रहे, जब कि असली देनदार आकाश गोयल था। आत्महत्या करने से पूर्व मृतक ने अपना बयान मोबाइल पर रिकॉर्ड किया है, जिसमें सभी अभियुक्तगण के नाम हैं तथा ऑडियो क्लिप है।

विवेचक द्वारा केस डायरी में वादिनी मिताली अग्रवाल का बयान धारा 161 द0प्र0सं0 अंकित किया गया है। जिसमें उसके द्वारा प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों का समर्थन किया गया और विवेचक द्वारा पूछने पर कथन किया है कि जब वह अपने पति की अस्थियां विसर्जित कर घर आयी और अपने कमरे में गयी तो मोबाइल उसे बेड के किनारे रखा मिला। जिसे देखने पर उसे अपने पति की वीडियो रिकार्डिग मिली। जिसके बाद उसे सारी घटना का पता चल और उसे पूर्व में अपने पति राहुल द्वारा कहीं गयी बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया कि यह तीनों अभियुक्तों ने उसके पति को इतना परेशान किया कि इनके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।

केस डायरी में वीडियो फुटेज का अवलोकन कर अंकित किया है कि राहुल अग्रवाल उर्फ गोपाल ने अपनी वीडियो बनाते हुए बताया कि ''मेरा नाम राहुल अग्रवाल उर्फ गोपाल अग्रवाल है। मैं अपने पूरे होश व हवा में एक बयान देने जा रहा हूॅ। मैं बहुत टेन्शन में हूॅ। कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है। मेरी मौत के जिम्मेदार तीन लोग होगें। एक नाम आकाश गोयल उर्फ अक्कू, रोहित अग्रवाल, मिक्की उर्फ सौरभ गोयल इन तीनों के ऊपर जिम्मेदारी होगी। क्योंकि इसका रीजन आगे बताने जा रहा हूॅ। मेरी दुकान सुभाष बाजार मानपाडा फर्स्ट

फलोर दुर्गा मार्केट में है। जिसकी फर्म का नाम श्री श्यामजी ट्रेडिग कम्पनी है। जिसका प्रोपराईटर मैं यानी राहुल अग्रवाल हूॅ। अक्कू 2010 या 11 में मेरे साथ दुकान पर आया था हम दोनों ने इस काम को चालू किया है। 2010 व 11 में हमने कपडे का काम चालू किया है। मेरे यहॉ पर आकाश गोयल नौकरी पर आया है और प्रोपराईटरशिप मेरे हैड में थी। 2016 या 17 में रोहित अग्रवाल मेरी दुकान पर आया है। 2016 व 17 में रोहित व आकश उर्फ अक्कू मेरे खिलाफ साजिश रची कि इसको फर्म में से आउट करना है तो उन्होने मेरे फर्म में से रोकडों में से गडबडी की है। मेरे हाथ से लिखवा लिखवा कर उल्टी सीधी कलमें लिखवाई और रोकडों में गलती की है। 2018–19 की रोकड आकाश गोयल के पास है। जो कि फर्म में से चोरी की है। 24.फरवरी 2021 को आकाश गोयल और मैं राहुल अग्रवाल दोनों एक साथ दुकान पर गये। रोहित ने बहाना किया कि पेट में दर्द इसलिए दुकान पर नहीं आ सकता हूॅ। आकाश गोयल ने ट्रान्सपोर्टरों पर फोन कर रोहित से सारा माल चोरी से उठाया माल की कीमत 45 से 50 लाख की है। जिसमें से 35 से 40 लाख रुपये नं0 1 की रकम है। शेष नं0 2 की है, इन सब का पेमेंन्ट जा चुका है और कुछ पेमेंन्ट करना बाकी है। आकाश गोयल व रोहित अग्रवाल ने मेरी दुकान से मेरे साथ कागजात जी.एस.टी. के बिल व सामान चोरी किये है। इस साजिश में मिक्की उर्फ सौरभ गोयल भी इनका साथ दे रहा है..... आकाश गोयल और रोहित अग्रवाल मेरी दुकान के स्टाफ है और मिक्की उर्फ सौरभ गोयल दलाल है जो कपडे की दलाली का काम करते है।। जिन्होंने मिलकर मेरी दुकान में एक साजिश रची है मेरे खिलाफ, जो भी मेरा नफा नुकसान हुआ इनकी जिम्मेदारी है। कल को जो पेमेन्ट जो माल चोरी किया है को मेरे घरवालों को देते हैं तो आगे पेमेन्ट करने वालों की जिम्मेदारी है। नहीं तो मेरे घर वाला कोई पेमेन्ट नहीं करेगें। इनकी जिम्मेदारी इन तीनों की होगी..... अगर कल को मेरी मौत होती है तो मेरी मौत की जिम्मेदारी इन तीनों की है।

भा0द0सं0 की धारा 107 **Abetment of a thing**

A person abets the doing of a thing, who -

First- Instigates any person to do that thing; or

Secondly- Engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy, and in order to the doing of that thing; or

Thirdly- Intentionally aids, by any act or illegal omission, the doing of that thing.

भा0द0सं0 की धारा 306 –**Abetment of suicide-**

"If any person commits suicide, whoever abets the commission of such suicide, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine."

धारा 306 भा0द0सं0 के अन्तर्गत अपराध गठित किये जाने के लिए तीन महत्वपूर्ण तथ्य स्थापित होने चाहिये–

1. आत्महत्या किया जाना,
2. आत्महत्या के लिए Instigation, दुष्प्रेरण कुछ हो,
3. कार्य करने के सबंध में Direct nexus.

रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ राज्य, में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि–

"Instigation is to encourage, ask forward, stimulate, invoke or promt to do a demonstration."

द0 प्र0 सं0 की धारा 227 में यह प्रावधान है कि ''**यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गयी दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर, और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवायी कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।**''

जितेन्द्र भीमराज विजया व अन्य बनाम महाराष्ट राज्य 1991 एस0सी0सी0 (क्रिम0) 48 के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 227 व 228 द0प्र0सं0 के मामले में न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य व अन्य दस्तावेजों को सीमित उद्देश्य के लिये अर्थात क्या प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरूद्ध मामला बनता है, पर सीमित रहेगी।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम शीतल सहाय, सहाय, ए0 आई0 आर0 2009 सुप्रीम कोर्ट (सप्लीमेन्टरी) 1744 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यदि न्यायालय यह पाता है कि दो मत सम्भव है तब भी न्यायालय आरोप विरचित कर सकता है, किन्तु जहॉ पर मात्र एक ही मत सम्भव हैं, तब भी न्यायालय आरोप विरचित कर सकता है, किन्तु जहॉ पर मात्र एक ही मत सम्भव हो तो ऐसी स्थिति में वह अभियुक्त को उत्पीड़ित करने के लिये यह नही कह सकता है कि वह विचारण का सामना करे।''

माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा **स्टेट आफ तमिलनाडु बनाम एन0 सुरेश राजन, ए0 आई0 आर0 2013 सु0 को0 633** में अभिमत व्यक्त किया है कि "Section 227 of the Code, the trial court is required to discharge the accused if it 'considers that there is not sufficient ground for proceeding against the accused.' However, discharge under Section 239 can be ordered when 'the Magistrate considers the charge against the accused to be groundless'. The power to discharge is exercisable under Section 245(1) when, 'the Magistrate considers, for reasons to be recorded that no case against the accused has been made out which, if not repudiated,

would warrant his conviction'. Sections 227 and 239 provide for discharge before the recording of evidence on the basis of the police report, the documents sent along with it and examination of the accused after giving an opportunity to the parties to be heard. However, the stage of discharge under Section 245, on the other hand, is reached only after the evidence referred in Section 244 has been taken. Thus, there is difference in the language employed in these provisions. But notwithstanding these differences, and whichever provision may be applicable, the court is required at this stage to see that *there is a prima facie case for proceeding against the accused.*"

अजय कुमार परमार बनाम राजस्थान राज्य, ए0आई0आर0 2013 सुप्रीम कोर्ट 633 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि''**धारा 227 के प्रार्थनापत्र की सुनवायी में अभियुक्त को डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर सुने जाने में मात्र अभिलेख पर उन्हीं विलेखों को देखा जाना होगा, जो अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया हो।**''

उपरोक्त विधिक निणर्यो तथा धारा 227 द0प्र0सं0 के आलोक में मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलबध है। धारा 161 द0प्र0सं0 के बयानो में जो मृतक की वीडियो क्लिप आई है, उसमें उसके द्वारा इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि उसकी साथ कुछ होगा, उसकी जिम्मेदार यह लोग होगें। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि इस स्तर पर यह नहीं देखा जाना है कि अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है अथवा नहीं अपितु इस स्तर पर मात्र यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन चलाये जाने हेतु महत्वपूर्ण साक्ष्य है, यदि है तो अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जा सकेगा।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, उपरोक्त विधिक निर्णय तथा अभियोजन पक्ष के तर्को के आलोक में मैं इस निष्कर्ष का हूॅ कि अभियुक्त आकाश गोयल का प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 227 द0प्र0सं0 बावत उन्मोचित में बल नहीं है।

तदनुसार 11ब व 18ब प्रार्थनापत्र धारा 227 द0प्र0सं0 वास्ते उन्मोचन निरस्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्त आकाश गोयल का प्रार्थनापत्र 11ब व 18ब अर्न्तगत धारा 227 द0प्र0सं0 वास्ते उन्मोचन निरस्त किये जाते हैं।

पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक 28.022023 को पेश हो। अभियुक्तगण उक्त तिथि को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें।

ह0

दिनांक 27.02.2023

अपर सत्र न्यायाधीश, न्याया0 सं01,
आगरा।